

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक:- / / 2016

क्रमांक:- भू.अ./2016/

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री कमली बाई अहीर पिता उंकार लाल अहीर नि.
रीजड़ा प.ह. तुक्कड़िया के राजस्व ग्राम रीजड़ा में जमाबन्दी संवत् 2079-81
की खाता संख्या 242 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नाम उंकार लाल अहीर किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नाम उंकार लाल अहीर का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।
जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:- रीडर/2016/ 1050

दिनांक:- / / 2016

निमित्त:

2025

पटवार हल्का तुक्कड़िया

18/12/2015

646

2025

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री कमली बाई पिता उंकार लाल अहीर
राजस्व ग्राम रीजड़ा प.ह. तुक्कड़िया की खाता संख्या 242 में
जाति/नाम उंकार दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री कमली बाई अहीर पिता उंकार लाल अहीर
जाति/नाम उंकार लाल एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की स्वीकृत एल.आर. द्वारा दी जाती है। प.ह. तुक्कड़िया राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ